

पीएम-केयरस स्कीम फॉर चलिड्रन

प्रलिमिंस के लयि:

पीएम केयरस स्कीम फॉर चलिड्रन, आयुषुमान भारत योजना, पीएम ई-वदिया, मनोदरुपण, कोवडि-केयर, सीएसआर (कॉरुपोरेट सोशल रसुपॉन्सबिलिटी) वुयय ।

मेनुस के लयि:

बचुुओं पर कोवडि-19 का प्रभाव, इस दशिा में उठाए गए कदम, बचुुओं से संबुंधति मुदुदे, शकिषा, सरकारी नीतयिाँ और हसुतकषेप ।

चरुचा में कुुयोँ?

हाल ही में केंदुर सरकार ने [पीएम-केयरस](#) स्कीम फॉर चलिड्रन की वैधता को 28 फरवरी, 2022 तक बढुा दयिा है, यह पहले 31 दसिंबर, 2021 तक वैध थी ।



-  Government stands with children who lost their parents due to COVID-19
-  Such children to get a monthly stipend once they turn 18 and a fund of 10 lakh when they turn 23 from PM CARES
-  Free education to be ensured for children who lost their parents to COVID-19
-  Children will be assisted to get an education loan for higher education & PM CARES will pay interest on the loan
-  Children will get free health insurance of 5 lakh under Ayushman Bharat till 18 years & premium will be paid by PM CARES
-  Children represent the future of the country and we will do everything to support and protect the children: **PM Narendra Modi**
-  It is our duty, as a society, to care for our children and instil hope for a bright future: **PM Narendra Modi**

पीएम-केयरस स्कीम फॉर चलिड्रन:

परचिय:

- यह योजना 29 मई, 2021 को उन बचुुओं की सहायता करने के उदुदेशुय से शुरु की गई थी, जनिहोंने कोवडि-19 महामारी के दुरान अपने माता-पति या कानुनी अभाभवक/दतुतक माता-पति को खे दयिा था ।
 - देखभाल और सुरकुषा की आवशुयकता वाले बचुुओं में अनाथ (10,094) तथा जनिहोंने माता-पति में से कसिी एक को खे दयिा (1,36,910) और परतियकुत (488) बचुुचे शामिल हैं, जनिकी कुल संखुया 1,47,492 है ।
 - लुगि के आधुार पर देखें तो इन 1,47,492 बचुुओं में लुगभग 76,508 लडुके, 70,980 लडुकयिाँ और चार टुरांसजेंडर शामिल हैं ।
- इस योजना का उदुदेशुय बचुुओं की नरितर वुयापक देखभाल और सुरकुषा सुनशिुचति करना, सुवासुथुय बीमा के माधुयम से उनके सुवासुथुय का धुयान रखना, शकिषा के माधुयम से उनुहें सशकुत बनाना और 23 वरुष की आयु तक वतिलीय सहायता प्रदान कर आतुमनरिभर ब नाना

है।

■ योजना की विशेषताएँ:

○ 10 लाख रुपए का कोष:

- इनमें से प्रत्येक बच्चे को पीएम केयर फंड से 10 लाख रुपए की राशि आवंटित की जाएगी।
- इस कोष का उपयोग 18 वर्ष की आयु के बाद अगले पाँच वर्षों तक उच्च शिक्षा की अवधि के दौरान बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये मासिक वित्तीय सहायता/छात्रवृत्ति हेतु किया जाएगा और 23 वर्ष की आयु पूरी करने पर व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक उपयोग के लिये उसे एकमुश्त के रूप में कोष की राशि मिलेगी।

○ बच्चों की शिक्षा

- छोटे बच्चों की शिक्षा का खर्च **केंद्रीय विद्यालयों** और नज्दी स्कूलों में उच्चतर माध्यमिक स्तर तक प्रवेश के माध्यम से वहन किया जाएगा।
- इन बच्चों को उनकी उच्च शिक्षा के दौरान ट्यूशन फीस या शैक्षिक ऋण के बराबर छात्रवृत्ति आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी, जहाँ ऋण पर ब्याज का भुगतान **पीएम-केयर्स फंड** द्वारा किया जाएगा।

○ स्वास्थ्य बीमा:

- **आयुषमान भारत योजना** के तहत ऐसे सभी बच्चों को एक लाभार्थी के रूप में नामांकित किया जाएगा, जिसमें **5 लाख रुपए** तक का स्वास्थ्य बीमा कवर शामिल होगा।
- ऐसे बच्चों के 18 वर्ष के होने तक प्रीमियम राशिका भुगतान **पीएम-केयर्स फंड** द्वारा किया जाएगा।

‘पीएम केयर्स’ फंड क्या है?

- सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न किसी भी प्रकार की आपातकालीन या संकटपूर्ण स्थिति से निपटने हेतु ‘आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष’ (PM CARES) की स्थापना की है।
- पीएम-केयर्स फंड एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। अन्य सदस्यों के रूप में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री शामिल हैं।
- यह कोष सूक्ष्म-दान को सक्षम बनाता है यानी इसमें राशिका सीमा निर्धारित नहीं की गई है, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में लोग योगदान करने में सक्षम होते हैं।
- यह कोष आपदा प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करने एवं नागरिकों की सुरक्षा हेतु अनुसंधान को प्रोत्साहित करेगा।
- पीएम-केयर्स फंड में किया गया योगदान ‘कॉर्पोरेट सोशल रस्पॉन्सिबिलिटी’ (CSR) के रूप में योग्य है।

कोविड के दौरान सरकार द्वारा बच्चों के लिये की गई अन्य पहलें:

■ बाल स्वराज कोविड-केयर:

- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने देखभाल एवं सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के लिये एक ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल ‘बाल स्वराज (कोविड-केयर)’ तैयार किया है।
- यह उन बच्चों की ऑनलाइन ट्रैकिंग और डिजिटल रीयल टाइम मॉनीटरिंग के उद्देश्य से बनाया गया है, जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है।

■ पीएम ई-विद्या:

- 17 मई, 2020 को ‘पीएम ई-विद्या’ नामक एक व्यापक पहल को आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था, जो शिक्षा के लिये मल्टी-मोड एक्सेस को सक्षम करने हेतु डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करता है।
- इसे कोविड-19 महामारी के दौरान बच्चों की शिक्षा के उद्देश्य से ‘वन नेशन वन डिजिटल’ प्लेटफॉर्म के तहत लॉन्च किया गया था।

■ मनोदरपण:

- इसका उद्देश्य कोविड-19 के समय में छात्रों, परिवार के सदस्यों और शिक्षकों को उनके मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण हेतु मनोसामाजिक सहायता प्रदान करना है।

स्रोत: पी.आई.बी.